स्मरण पत्र–4
अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
पंचायती राज

क्रमांक : एफ 165(13)/परावि/एफ.एफ.सी/निष्पादन/2018–19/ जयपुर, दिनांकः–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–समस्त। (सीकर,दौसा,चुरू,बीकानेर एवं अलवर को छोडकर)

विषयः– 14वें वित्त आयोग अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में निष्पादन अनुदान हेतु पात्रता की सूचना भिजवाने बाबत।

प्रसंगः– विभागीय पत्र क्रमांक एफ 165(13)/परावि/एफ.एफ.सी/निष्पादन/2018–19/6915 दिनांक 18.10.2018, 7554 दिनांक 12.11.2018, 7897 दिनांक 27.11.2018 एवं 8208 दिनांक 21.12.2018

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रो द्वारा 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2018–19 में जारी की जाने वाली निष्पादन अनुदान राशि की पात्रता हेतु वांछित शर्तों की पालना करने वाली पंचायती राज संस्थाओं की सूचना संदर्भित पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में दिनांक 31.10.2018 तक चाही गई थी, परन्तु आपकी जिला परिषद के अधीन ग्राम पंचायतों की सूचना आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्राप्त नही हुई है।

अतः पुनः लेख है कि वांछित सूचना 3 दिवस में आवश्यक रूप से विभागीय ई–मेल आई.डी. **rajpr.fa@rajasthan.gov.in** पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। सूचना प्राप्त नही होने की स्थिति में आपके अधीन ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान की राशि का आवंटन नही किया जा सकेगा, उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त सूचना पर विचार नही किया जावेगा,**जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।**

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

– Sd –
शासन सचिव एवं आयुक्त

क्रमांक : एफ 165(13)/परावि/एफ.एफ.सी/निष्पादन/2018–19/ 8519 जयपुर, दिनांकः– 15-01-2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विकास अधिकारी संबंधित जिला परिषद।
3. सरपंच/ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत समस्त जरिये विभागीय वेबसाईट।
4. प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

शासन सचिव एवं आयुक्त

ffc/Latters